बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–25/2024 3048 पटना, दिनांक 05/05/26

श्री राजेश्वर कुमार दास तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पटना के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना के पदस्थापन काल में श्री मोकेन्द्र कुमार की भतीजी दीक्षा आर्या से मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर रुपये 28,30,000/– की धोखाधड़ी किये जाने के आरोप के लिए श्री दास के विरूद्ध दर्ज रूपसपुर थाना कांड संख्या–299/2022, दिनांक 29.05.2022 एवं अनुसंधानोपरांत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दायर किये जाने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–8334 दिनांक 15.09.2020 की कंडिका–5 (i) में अंकित निदेशों के आलोक में श्री दास द्वारा इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं कराये जाने के लिए श्री दास के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–7163 (एस) दिनांक 12.08.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त आरोप पत्र के तहत गठित आरोप निम्नवत है :–

(i) श्री दास के विरूद्ध श्री मोकेन्द्र कुमार, पिता–स्व० दल्लू सिंह यादव, स्थायी पता–ग्राम मीरगंज, पो०–नोआवॉ, थाना–शकुराबाद, जिला–जहानाबाद, पिन–804429, वर्त्तमान पता–कृष्णा सोनफूल अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं०–204, नॉर्थ ब्लॉक–ए, थाना–राजीवनगर, जिला–पटना द्वारा उनकी भतीजी दीक्षा आर्या को मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर धोखाधड़ी का लगाये गये आरोप के लिए श्री दास, तदेन कनीय अभियंता के विरूद्ध रूपसपुर थाना कांड संख्या–299/2022 दर्ज है, परन्तु श्री दास के द्वारा उक्त दर्ज थाना कांड एवं माननीय अपर मुख्य न्यायाधीश प्रथम दानापुर के न्यायालय में दाखिल अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र की सूचना जान–बूझकर विभाग से छुपाया गया और इसकी सूचना नहीं दी गयी जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–8334 दिनांक 15.09.2020 के कंडिका–5 (i) के अनुसार कदाचार है।

2. श्री दास द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर में मुख्य रूप से इस तथ्य को अंकित किया है कि उनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड एवं माननीय न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र की जानकारी उन्हें नहीं थी। फलतः इसकी सूचना विभाग को नहीं दे सके। इस संदर्भ में श्री दास द्वारा निम्नलिखित तथ्य अंकित किया गया है :–

(i) श्री दास ने अपने स्पष्टीकरण उत्तर में प्रतिवेदित किया है कि इस घटनाक्रम में थाने पर बुलाए जाने के आलोक में दिसम्बर–2022 में वे अपने साले श्री राहुल कुमार जिनके साथ श्री मोकेन्द्र कुमार का पैसे के लेन–देन का विवाद है, के साथ रूपसपुर थाना गये थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि थाना प्रभारी के द्वारा उन दोनों (यथा–श्री मोकेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार) के साथ उनसे भी पूछ–ताछ की गयी तथा हम तीनों को आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का सुझाव थाना प्रभारी द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त श्री दास द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पूछ–ताछ के क्रम में थाना प्रभारी के द्वारा उनके विरूद्ध F.I.R दर्ज होने की बात नहीं बतायी गयी, क्योंकि संभवतः तत्समय तक उनके विरूद्ध FIR दर्ज नहीं किया गया था।

(ii) श्री दास द्वारा अपने बचाव में यह भी कहा गया है कि श्री मोकेन्द कुमार से पैसे के लेन–देन का विवाद वस्तुतः उनके साले श्री राहुल कुमार से था।

3. श्री दास का उक्त वक्तव्य कि उन्हें आलोच्य थाना कांड/दायर आरोप पत्र की सूचना नहीं दी गयी थी, पूरी तरह भ्रामक एवं गलत है। विदित हो कि दिनांक 29.05.2022 को ही उनके विरूद्ध रूपसपुर थाना कांड संख्या–299/2022 दर्ज किया गया था। उक्त थाना कांड में माननीय

कृ०पृ०उ०

(57) आई० डी० मैनेजर.

न्यायालय में दायर आरोप पत्र में धारा–41 (ए) की उप धारा–(7) के तहत नोटिस दिया गया तथा इसके पश्चात वे दिनांक 26.12.2022 को थाना पर उपस्थित होकर नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करने का वचन दिए तथा पावती पर हस्ताक्षर बनाए। ध्यातव्य हो कि उक्त थाना कांड एवं माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दायर किये जाने की पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक–442 दिनांक 24.01.2025 से भी होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री दास द्वारा स्वीकार किया गया है कि दिसम्बर–2022 में रूपसपुर थाने पर बुलाये जाने के उपरांत उनसे आलोच्य मामले के संबंध में पूछ–ताछ की गयी थी।

श्री दास का यह कथन कि श्री मोकेन्द्र कुमार से पैसे का लेन–देन उनके साले श्री राहुल कुमार से था, यह कथन भी सही प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में आलोच्य मामले में श्री दास के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने संबंधी थानाध्यक्ष, रूपसपुर थाना को संबोधित श्री मोकेन्द्र कुमार के पत्र दिनांक 25.05.2022 से स्पष्ट है कि हड़पे गए राशि रुपये 28,30,000/– को लौटाने के क्रम में श्री दास द्वारा रुपये 7,00,000/– का चेक श्री मोकेन्द्र कुमार को दिया गया था, परन्तु Material Alternation in Cheque के कारण उक्त चेक Clear नहीं हो सका। इसको लेकर परिवादी श्री मोकेन्द्र कुमार द्वारा श्री दास के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया। तदनुसार दिनांक 29.05.2022 को श्री दास एवं उनके साले श्री राहुल कुमार के विरूद्ध रूपसपुर थाना में FIR दर्ज किया गया।

4. इस प्रकार, श्री दास द्वारा अपने स्पष्टीकरण उत्तर में बिना साक्ष्य आधारित तर्क/तथ्य प्रस्तुत करना कि आलोच्य मामले में उनका कोई लेना–देना नहीं था तथा उनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड एवं माननीय न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र की सूचना उन्हें पूर्व में नहीं थी, फलतः विभाग को सूचित नहीं कर पाए, पूरी तरह निराधार एवं विभाग को गुमराह किए जाने वाला वक्तव्य है। श्री दास उक्त धोखाधड़ी के मामले में अपने साले श्री राहुल कुमार के साथ संलिप्त थे एवं आलोच्य घटना की उन्हें पूर्णतः जानकारी थी, जिसकी पुष्टि उक्त कंडिका–3 में अंकित तथ्यों से होती है।

5. श्री दास को उनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड/माननीय न्यायालय में दर्ज आरोप पत्र की सूचना विभाग को अपने स्तर से ही समय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य था, जबकि इनके द्वारा उक्त घटना को छुपाया गया। इस प्रकार श्री दास का उक्त कृत्य सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8334 दिनांक 15.09.2020 में प्रावधानित नियम के साथ–साथ सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के निय–3 (1)(i) (ii) एवं (iii) का भी उल्लंघन है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री राजेश्वर कुमार दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पटना के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है :–

"संचयी प्रभाव के बिना एक (01) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड"।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–25/2024 पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–25/2024 पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)**।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–25/2024 पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबं०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री राजेश्वर कुमार दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता (अनु०), रा0उ0 पथ अंचल, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–25/2024 3049(S) पटना, दिनांक 05/5/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

04.5.26

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04.05.26